मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11: 02 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए : -

(1) श्री मुकुल रॉय, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा

(2) श्री तेजीलाल सरयाम, भूतपूर्व राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री सोहनलाल बाल्मीक सदस्य द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:17 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 9 तक) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 179 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1)	श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया वि.स.क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पिसनारी एवं अंगूरी नदी पर सुलभ आवागमन की दृष्टि से पुल का निर्माण कराये जाने,
(2)	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा विधान सभा अंतर्गत बरगढ़ फंटा से भैसाना फंटा तक बायपास मार्ग अपूर्ण होने,

(3)	श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव, सदस्य ने प्रदेश के जिलों में असमय बारिश एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा/सहायता राशि दिये जाने,
(4)	श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के विभिन्न सिविल अस्पतालों में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को 108/जननी एक्सप्रेस समय पर न मिल पाने,
(5)	श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य ने बालाघाट-बैहर मार्ग में स्थित रेलवे क्रासिंग जी.जे. 37 पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराये जाने,
(6)	श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने ग्राम पंचायत नाका मुख्य मार्ग से मेहताब सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण करने के संबंध में,
(7)	श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र धार एवं अलीराजपुर में ड्रिलिंग कार्य बिना ग्रामसभा की अनुमति के प्रारंभ किये जाने,
(8)	श्री मुकेश टण्डन, सदस्य ने विदिशा स्थित कृषि उपज मंडी हेतु 50 एकड़ भूमि की स्वीकृति एवं व्यापारियों को आवंटित प्लाट की दरें कम की जाने,
(9)	डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में असमय वर्षा एवं ओला वृष्टि से खराब हुई किसनों को फसलों का मुआवजा एवं बीमा लाभ न मिल पाने एवं
(10)	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई जाने,

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत गम्भीर प्रश्न लगा हुआ था वह आया नहीं. यह सरकार महिलाओं के लिये बहुत लंबी-चौड़ी बातें करती है लेकिन 5 साल से महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, मानव अधिकार का गठन नहीं हुआ, किसी भी आयोग का गठन नहीं हुआ. क्या यह सरकार अपने आपको संवेदनशील कहती है. महिला आयोग का ही गठन हो जाए, इसका कब तक गठन होगा ?

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चैतन्य कुमार काश्यप, खनिज साधन मंत्री (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन का 68वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा.

6. ध्यानाकर्षण

(1) **सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य** ने प्रदेश में निराश्रित पशुओं से किसानों की फसलें नष्ट होने तथा यातायात बाधित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री लखन पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, श्री कैलाश कुशवाह, सदस्यगण, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप-मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - मैं समझता हूं कि श्री अजय सिंह जी का जो ध्यानाकर्षण था, वह निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति का था. सब जगह इस प्रकार की समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है. विशेष रूप से किसानों को और रास्ते में जब अवरोध पैदा होता है, तो भी समस्या उत्पन्न होती है, समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ही मैंने अनेक लोगों को अवसर दिया है. उन्होंने अपने सुझाव भी दिये और समस्या भी बताई और जो लोग गौ-सेवा की दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव इस समय पटल पर रखे हैं. माननीय मंत्री जी ने भी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका उत्तर दिया है. मैं समझता हूं कि गौ-सेवा एवं गौ संवर्धन का जो विषय है, यह विषय किसी एक पक्ष का नहीं हो सकता है, क्योंकि आज अगर गौ सड़क पर है, तो उसके लिये क्या गौ दोषी है? इस पर भी विचार होना चाहिए. यह समस्या मानव जनित है, मतलब समस्या का जनक कौन है, इस पर भी विचार होना चाहिए और इसलिए समस्या की तह तक हमें जाना चाहिए, सरकार लगातार इस दृष्टि से प्रयत्न कर रही है. मुझे भी ध्यान है वर्ष 2004 से सरकारी गौ शालाओं का मैं भी किसी न किसी रूप में साक्षी रहा हूं और अभी भी सरकार ने बताया, मंत्री जी ने बताया कि वह प्रोफेशनल गौ-शालाएं प्रारंभ कर रहे हैं, क्या है कि यह इतना व्यापक विषय है कि यह दो तरीके से चल सकता है एक तो गौशाला प्रोफेशनल बन जाये, मतलब गौशाला से आय होने लगे और दूसरा गायों का संरक्षण होता रहे या फिर सेवा उसमें इतनी ज्यादा हो कि सेवा के माध्यम से श्रद्धा के माध्यम से गौशाला की आय हो और उसमें गौ का संवर्धन हो, तो मुझे लगता है कि सेवा की दृष्टि से भी अनेक प्रकल्प चल रहे हैं. पिछले दिनों मुझे ध्यान है कई वर्ष पहले जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य शाजापुर में बनाया था, लगभग 250-300 हेक्टेयर में और यहां भी हुआ, उसके बाद बहुत से प्रकल्प शुरू हुये हैं, लेकिन यह सही है कि निश्चित रूप से अभी भी इस मामले में काम करना काफी शेष है और मुझे लगता है कि सरकार को भी और सरकार के साथ हम सब लोगों को समन्वय बनाकर इस समस्या की तह तक भी पहुंचना चाहिये और इसके निराकरण की दृष्टि से गंभीरतम प्रयास करना चाहिये. आप सबने अच्छे सुझाव दिये, इसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं. गौशाला को प्रोफेशनल बनाना यह अत्यंत आवश्यक है, इसके लिये प्रयोग किया जाना चाहिये. आपने जो प्रयोग किया है वह ठीक दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं. अगर कोई समस्या आयेगी तो उससे भी सरकार कडाई से निपटेगी, ऐसा हम कह सकते हैं.

8. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य** ने प्रदेश में बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु फायर सेफ्टी कानून एवं नियमित ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मैंने नियम 169 के अंतर्गत श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, सदस्य द्वारा श्री बबलु राजानी एवं श्री कमल नागपाल निवासी खण्डवा (म.प्र) के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना को विशेषाधिकार समिति को जॉच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिया है.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(2) **श्री केशव देसाई (जिला-**भिण्ड)
(3) **श्री भगवानदास सबनानी (जिला-**भोपाल)
(4) **श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-**मण्डला)
(5) **श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-**सागर)
(6) **श्री दिव्यराज सिंह (जिला-**रीवा)
(7) **श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-**भोपाल)
(8) **श्री विश्वामित्र पाठक (जिला-**सीधी)
(9) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-**कटनी)
(10) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-**सिवनी)
(11) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(12) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-**खरगोन)
(13) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-**धार)
(14) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)
(15) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाड़ा)
(16) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(17) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(18) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला-**आगर-मालवा)
(19) **श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-**जबलपुर)
(20) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(21) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-**छतरपुर)
(22) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला-**उज्जैन)
(23) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-**नरसिंहपुर)
(24) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-**रतलाम)
(25) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा)
(26) **श्री अरूण भीमावद (जिला-**शाजापुर)
(27) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-**निवाड़ी)
(28) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(29) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)
(30) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)
(31) **श्री राजकुमार मेव (जिला-**खरगोन)
(32) **श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-**गुना)
(33) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(34) **श्री मधु भगत (जिला-**बालाघाट)
(35) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**टीकमगढ़)
(36) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)
(37) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(38) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(39) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-**रतलाम)
(40) **श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-**मुरैना)

(41) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(42) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(43) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(44) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(45) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(46) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(47) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(48) श्री महेंद्र रामसिंह यादव (जिला-शिवपुरी)
(49) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(50) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(51) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(52) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(53) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)
(54) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(55) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(56) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)
(57) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(58) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(59) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(60) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(61) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(62) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(63) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खण्डवा)
(64) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(65) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(66) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(67) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(68) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(69) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(70) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(71) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(72) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(73) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(74) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(75) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(76) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(77) डॉ. प्रभुराम चौधरी (जिला-रायसेन)
(78) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(79) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(80) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(81) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-खंडवा)
(82) श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-रायसेन)
(83) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(84) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(85) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)

11. वक्तव्य

(1) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण** द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 96 (क्रमांक 862) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया गया.

(2) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन, पर्यावरण** द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2025 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 122 (क्रमांक 1996) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया गया.

12. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘ आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था लॉबी में की गई है, माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.’’

13. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री राकेश सिंह, मंत्री, लोक निर्माण ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य के लिए बारह हजार दो सौ इक्यावन करोड़, चौवन लाख, तेरह हजार रुपये ।
		तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामेश्वर शर्मा

{सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए}

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(2) श्री महेश परमार
(3) श्री दिलीप सिंह परिहार
(4) श्री निलेश पुसाराम उईके
(5) श्री गौरव सिंह पारधी
(6) श्री नारायण सिंह पट्टा
(7) श्री आशीष गोविंद शर्मा

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं}

(8) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(9) श्री नीरज सिंह ठाकुर
(10) श्री अभय मिश्रा
(11) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(12) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार
(13) श्री महेन्द्र नागेश
(14) श्री विवेक विक्की पटेल
(15) श्री अरूण भीमावद
(16) श्री मधु भगत
(17) श्री प्रहलाद लोधी
(18) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे
(19) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(20) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
(21) श्री विश्वनाथ सिंह
(22) श्री कमल मर्सकोले

14. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय लोक निर्माण विभाग की अनुदान की मांगो पर मतदान के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में मंदसौर के सांसद श्री सुधीर गुप्ता की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया.

(23) श्रीमती सेना महेश पटेल
(24) श्री कमलेशवर डोडियार
(25) श्री फूलसिंह बरैया
(26) डॉ. प्रभुराम चौधरी

श्री राकेश सिंह, मंत्री, लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया.

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि एवं स्वल्पाहार विषयक

श्री राकेश सिंह, मंत्री, लोक निर्माण मंत्री के उत्तर के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था है. अपनी सुविधा से ग्रहण कर सकते है.

16. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. अध्यक्षीय घोषणा

कार्य सूची के पद 7 अनुदानों की मांगों पर मतदान के उप पद (2) एवं (3) में उल्लिखित मांग संख्याओं को एक साथ चर्चा हेतु लिये जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची के पद 7 अनुदानों की मांगों पर मतदान के उप पद (2) एवं (3) में उल्लिखित मांग संख्याओं को एक साथ चर्चा हेतु लिये जाने का निर्णय लिया है. मेरे द्वारा पुकारे जाने पर उक्त मांगों से संबंधित माननीय मंत्रीगण अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा सभा के माननीय सदस्य प्रस्तुत प्रस्तावों पर संयुक्त रूप से चर्चा करेंगें.

18. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री, जनजातीय कार्य ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 033	जनजातीय कार्य के लिए पन्द्रह हजार चौदह करोड़, बावन लाख, चौदह हजार रुपये ।
(2)	अनुदान संख्या – 042	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ पिचहत्तर करोड़, चौदह लाख, बावन हजार रुपये एवं
(3)	अनुदान संख्या – 045	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए बत्तीस करोड़, नवासी लाख, एक हजार रुपये ।
		तक की राशि दी जाय.

श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 049	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए दो हजार पांच सौ इक्यान्वें करोड़, नौ लाख, उनतालीस हजार रुपये ।
		तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुये.

19. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि दोनों तरफ से 10-10 अथवा 11-11 नाम आये है. मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करूंगा कि मांग संख्या को आज ही हमें पारित करना है. इसलिये थोडी कटौती करेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि कल भी 2-3 विषयों पर चर्चा होगी. सब लोग बोल सकते है. इस मामले में पक्ष तथा विपक्ष के नेता ध्यान देंगे. जो प्रारंभ करने वाले सदस्य है वो 10 मिनट तक अपनी बात सीमित रखेंगें और उसके बाद जो बोलेंगे वह 5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगें.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री शरद जुगलाल कोल

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(3) श्री संतोष वरकडे
(4) डॉ. हिरालाल अलावा
(5) श्री मोहन सिंह राठौर
(6) श्री भगवानदास सबनानी
(7) श्री केदार चिडाभाई डाबर
(8) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल
(9) श्री कमल मर्सकोले

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं}

(10) श्री फूलसिंह बरैया
(11) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे
(12) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(13) श्री पंकज उपाध्याय
(14) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री, जनजातीय कार्य एवं
श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 09:20 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांकः 25 फरवरी, 2026

....